क्रमांक 16/11/85-3 जी0 एस0 II

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला तथा हिसार मण्डल, सभी उपायुक्त तथा उप मण्डल अधिकारी (ना0), हरियाणा ।

2. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय तथा हरियाणा के सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश ।

दिनांक चण्डीगढ़ 8/7/85

विषय:— सेवा अवधि के दौरान मरने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को अनुग्रहपूर्वक अनुदान तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करना ।

महोदय,

मुझे आपका ध्यान उपरोक्त विषय की ओर आकर्षित करते हुए यह कहने का निदेश हुआ है कि हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 3442-3 जी0एस0-II-77/19169, दिनांक 13-7-71 के अनुसार अन्य सुविधाओं के अतिरिक्त इस बात का विशेष उल्लेख किया हुआ है कि मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रित सदस्यों को ग्रुप सी0 अथवा ग्रुप डी0 के पदों पर नियुक्ति प्रदान करने की कार्यवाही की जाए परन्तु सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि कई विभाग मृतक राजपत्रित अधिकारियों के आश्रित सदस्य को राजपत्रित पद पर नियुक्त करने के लिए प्रस्ताव सरकार को भेजते हैं या अपने स्तर पर मन्त्री परिषद को तथा लोक सेवा आयोग की अनुमति प्राप्त करके राजपत्रित पदों पर नियुक्ति कर देते हैं ।

2. सरकार ने इस मामले पर गम्भीरतापूर्वक पुनः विचार किया है और यह निर्णय लिया है कि भविष्य में सेवा अवधि के दौरान मरने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों के एक आश्रित सदस्य को उपरोक्त वर्णित हिदायतों अनुसार आमतौर पर केवल ग्रुप सी0 या ग्रुप डी0 के पद पर ही नियुक्ति के प्रस्ताव मुख्य सचिव (सामान्य सेवाएं-II शाखा में) को भेजे जाये । अतः यह अनुरोध किया जाता है कि भविष्य में राज्य सरकार को जहां तक हो सके केवल इस बारे में ग्रुप सी0 या ग्रुप डी0 पद पर ही नियुक्ति देने हेतु ही प्रस्ताव भेजा जाए ।

कृपया इस पत्र की पावती भी भेजी जाए ।

भवदीय

हस्ताक्षर

उप सचिव, प्रोटोकोल,

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

क्र0 16/11/85-3 जी. एस. II दिनांक 8 जुलाई, 1985

एक एक प्रति :-

(1) सचिव, हरियाणा लोक सेवा आयोग, चण्डीगढ़ ।